न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :84/2017

1. मीरा देवी उर्फ हीरां देवी पत्नी बीरबल राम जाति मेघवांशी निवासी 1 पी तहसील अनुपगढ
2. राम लाल पुत्र बीरबल राम जाति मेघवांशी निवासी 1 पी तहसील अनुपगढ।
3. पूर्ण राम पुत्र बीरबल राम जाति मेघवांशी निवासी 1 पी तहसील अनुपगढ जिला गंगानगर।
4. भीया राम पुत्र बीरबल राम जाति मेघवांशी निवासी 1 पी तहसील अनुपगढ।
5. देवी लाल पुत्र बीरबल राम जाति राम मेघवंशी निवासी चक साहूवाल तहसील सूरतगढ।
6. चावली देवी पुत्री बीरबल राम पत्नी जगदीश राम जाति मेघवंशी निवासी रामपुर।
7. रामप्यारी पुत्री बीरबल राम पत्नी रणवीर सिंह जाति मेघवंशी निवासी 25 ए तहसील अनुपगढ ।

--प्रार्थीगण--

बनाम

1. गणपत राम पुत्र मंगला राम जाति मेघवंशी निवासी मुकन तहसील श्री करणपुर।
2. पृथ्वी राम पुत्र मंगला राम जाति मेघवंशी निवासी मुकन तहसील श्री करणपुर ।
3. चुन्नी राम पुत्र मंगला राम जाति मेघवंशी निवासी 9 एफ ए माझीवाला तहसील श्रीकरणपूर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री करणपुर ।

--अप्रार्थीगण--

1. श्री युधिष्ठिर सैनी अधिवक्ता -:प्रार्थीगण की ओर से:-
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 -:एकपक्षीय कार्यवाही:-
3. श्री जसकरण गोदारा अधिवक्ता -:अप्रार्थी संख्या 3 :-
4. राजपैरोकार -:अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से:-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 6/8/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 1 एफ सी की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 113 के मु0न0 76 के किला न. 4,5,6,7,14,15 प्रत्येक 0.253 हैक्ट. कुल 1.518 हैक्ट. वारानी भूमि प्रार्थीगण के पिता बीरबल राम के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता बीरबल राम का देहान्त 13.07.2007 को गया है। उपरोक्त आराजी का विरास्तन इन्तकाल संख्या 912 दिनांक 20.09.2007 के जरिए प्रार्थीगण के नाम हो चुका है। उपर्युक्त भूमि पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। आज से कुछ रोज पूर्व प्रार्थीगण उपर्युक्त भूमि पर रबी की फसल काश्त करने के लिए आये तो अप्रार्थीगण जो प्रार्थीगण के रिश्तेदारी में चाचा लगते है, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की आराजी में जबरदस्ती कब्जा करने लगे तथा प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये तो प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को कहा गया कि उपर्युक्त भूमि पर पूर्व में हमारे पिता के जीवन काल में हमारे पिता का कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक बिना रोक टोक के चला आ रहा था और पिता की मृत्यू के बाद से उपर्युक्त भूमि पर हमारा कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। इसलिए आप हमारी भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न करे। तो अप्रार्थीगण साफ इन्कार हो गये और कहने लगे कि हम तो जबरदस्ती उपर्युक्त भूमि पर कब्जा करेगें। और कब्जे के आधार पर उपर्युक्त भूमि अन्य व्यक्ति को उंचे दामो पर बेच देगे। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थना पत्र पेश करने से दो रोज पूर्व प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से मिले और कहा कि वे प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना करे और किसी अन्य व्यक्ति से दखल अंदाजी करवाने से बाज व ममनू रहे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
करणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

84/17

लेकिन अप्रार्थीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना जरूरी हो गया है। राईट एवं टाईटल, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक मे पाया जाता है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण चक 1 एफ सी की जमावंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 113 के मु0न0 76 के किला न. 4,5,6,7,14,15 प्रत्येक 0.253 हैक्ट. कुल 1.518 हैक्ट. बारानी भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में स्वय या अन्य किसी व्यक्ति से दखल अंदाजी करवाने व जबरदस्ती कब्जा करने से बाज ममनू रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तलवी बाद तामील प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा उपस्थित आए व जवाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाव बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नही होने पर जवाब स्टेट बंद किया गया।

बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा चक 1 एफ सी की जमावन्दी सम्वत के खाता संख्या 113/111 के मु.न. 76 की 1.518 हैक्ट. बारानी भूमि जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है, बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही है अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा कोई जवाव पेश नहीं किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तीनो बिन्दूओ पर विचार किया गया प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सतुलन, राईट एवं टाईटल प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सवूत के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 एफ सी की जमावंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 113 के मु0न0 76 के किला न. 4,5,6,7,14,15 प्रत्येक 0.253 हैक्ट. कुल 1.518 हैक्ट. बारानी भूमि के संवंध मे पत्रावली मे दिनांक 17.10.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 6/8/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner